



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3147]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940

No. 3147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(जांच प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सं. 37/2018

का.आ. 3942(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मुन्सिफ न्यायालय सं. 3- और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम) गुवाहाटी को, एतद्द्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष न्यायालय के रूप में पद नामित करती है।

[फा. सं. 285/09/2018-आईटी(जांच-V) सीबीडीटी]

डॉ. जाकीर थॉमस, सीआईटी(ओएसडी)(जांच), सीबीडीटी